

न्यायालय : पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
 (आप.प्र.क.क. : - 149/2014)
 (संस्थित दिनांक :- 25/02/14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन ।

/// विरुद्ध ///

01. राजू उर्फ राजेन्द्र सिंह राठौर पुत्र छोटे सिंह राठौर उम्र 48 वर्ष
 निवासी : गदाईपुरा, नाले के किनारे तुलसी राठौर का मकान मल्लगढ़ा हजीरा,
 जिला :- ग्वालियर (म.प्र.) अभियुक्त

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 01/03/2017 को घोषित)

01. आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र पर धारा :- 279 एवं 337 "04 काउण्ट" भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 10/12/2013 को रात्रि लगभग 10:25 बजे जोगीपुरा के आगे मालनपुर ग्वालियर भिण्ड रोड़ सार्वजनिक स्थान पर, उसके आधिपत्य के वाहन टैंकर क्रमांक एम.पी.07/जी./8144 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी जनक सिंह की लोडिंग बुलेरो क्रमांक एम.पी.30/जी/0660 में टक्कर मारकर एवं अन्य टैंकर में बैठी सवारिया रामकिशन शर्मा, श्याम बिहारी एवं कौशल शर्मा को टक्कर मारकर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा साक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि :- 10/12/2013 को रात्रि लगभग 10:25 बजे जोगीपुरा के आगे मालनपुर ग्वालियर भिण्ड रोड़ सार्वजनिक स्थान पर, वाहन टैंकर क्रमांक एम.पी.07/जी./8144 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी जनक सिंह की लोडिंग बुलेरो क्रमांक एम.पी.30/जी/0660 को टक्कर मारकर जनक सिंह तथा टैंकर क्रमांक एम.पी.07/जी./8144 में सवार रामकिशन शर्मा, श्याम बिहारी, कौशल शर्मा को उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी जनक सिंह द्वारा ट्रामा सेन्टर जे.ए.एच ग्वालियर पर देहाती नालसी के रूप में लिखाई जाने पर, टैंकर क्रमांक एम.पी.07/जी./8144 के चालक के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई और उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना मालनपुर में उक्त टैंकर क्रमांक एम.पी.07/जी./8144 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 267/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर

प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। टैंकर क्रमांक एम.पी.07/जी./8144 को जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया। आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के संबंध में वाहन स्वामी दिनेश शर्मा का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी जनक सिंह, आहतगण/साक्षीगण कौशल, श्याम किशोर, रामकिशन शर्मा एवं नवाब सिंह के कथन लेखबद्ध किए गये। तत्पश्चात् विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र के विरुद्ध धारा 279 एवं 337 "04 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र ने दिनांक :- 10/12/2013 को सुबह लगभग 10:25 बजे जोगीपुरा के आगे मालनपुर ग्वालियर भिण्ड रोड़ सार्वजनिक स्थान पर, उसके आधिपत्य के वाहन टैंकर क्रमांक एम.पी.07/जी./8144 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी जनक सिंह की लोडिंग बुलेरो क्रमांक एम.पी.30/जी./0660 में टक्कर मारकर एवं अन्य टैंकर में बैठी सवारियां रामकिशन शर्मा, श्याम बिहारी एवं कौशल शर्मा को टक्कर मारकर उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी/आहत जनक सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक 22/08/2014 से एक साल पहले की है। वह अपनी लोडिंग बुलेरो गाड़ी से गुड़ डबरा से भरकर भिण्ड ले जा रहा था तभी मालनपुर के पास एक टेंकर से उसकी लोडिंग गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसे चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि टेंकर में बैठी हुई सवारियों को भी चोटें आई थी। उसने घटना की सूचना पुलिस को दी थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी/आहत जनक सिंह अ.सा.01 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि टेंकर क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 के चालक ने टेंकर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसकी लोडिंग गाड़ी में टक्कर मार दी थी। जनक सिंह अ.सा.01 ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र ने उसकी लोडिंग बुलेरो में टक्कर मारी थी। साक्षी जनक सिंह अ.सा.01 को इस वावत् उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी.01 का बी से बी भाग "सामने भिण्ड तरफ से.....कराया गया" एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.02 का ए से ए भाग "सामने भिण्ड तरफ से.....ईलाज हुआ था" पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने ऐसा रिपोर्ट या कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में जनक सिंह अ.सा.01 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। आहत जनक सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी.01 तथा उसके पुलिस कथन प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप हैं, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं। फरियादी जनक सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपित दुर्घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले टेंकर चालक के रूप में आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र की पहचान संबंधी या दुर्घटनाकारित करने वाले टेंकर क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 के दुर्घटना के समय उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं। इसलिए इस साक्षी के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

09. आहत रामकिशन अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 26/02/2015 की लगभग एक साल पहले की रात्रि लगभग 11:00 बजे की है। घटना वाले दिन वह एक टेंकर में बैठकर गोहद चौराहा से ग्वालियर जा रहा था, उक्त टेंकर में चार और व्यक्ति थे, जिनके नाम वह नहीं जानता। साक्षी आगे कहता है कि कैडवरी फैक्ट्री के थोड़ा आगे बुलेरो गाड़ी से टक्कर हो गई थी। गलती टेंकर वाले की थी, क्योंकि वह उल्टे हाथ पर जा रहा था। टक्कर लगने से टेंकर के आगे का कांच फूट गया था और टेंकर में आगे जो लोग बैठे थे, उनको चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसे उक्त टेंकर एवं बुलेरो गाड़ी का नम्बर नहीं मालूम। टेंकर के चालक के बारे में भी उसे कुछ नहीं मालूम। पुलिस ने इस वावत् उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर रामकिशन अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इन

सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्र.पी.04 में दुर्घटनाकारित करने वाले टेंकर का क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 बताया था। रामकिशन अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्र.पी.04 में यह बताया था कि दुर्घटनाकारित करने वाले टेंकर क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 का चालक उसे तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था। साक्षी को इस वावत् उसके पुलिस कथन प्र.पी.04 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ऐसा कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार आहत रामकिशन अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके पुलिस कथन प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि सामने से जो बुलेरो आ रही थी वह तेजी से आ रही थी और बुलेरो वाले ने टक्कर होने से बचाव नहीं किया था। इस प्रकार रामकिशन अ.सा.03 द्वारा दर्शित उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि संभवतः दुर्घटना के समय सामने से आ रही बुलेरो का चालक उपेक्षापूर्वक वाहन चला रहा था और इस कारण दुर्घटना घटित हुई। इस प्रकार आहत रामकिशन अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपित दुर्घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले टेंकर चालक के रूप में आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र की पहचान संबंधी या दुर्घटनाकारित करने वाले टेंकर क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 के दुर्घटना के समय उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। फलतः इस साक्षी की साक्ष्य का भी कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

10. आहत श्याम किशोर अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 10/12/2013 की रात्रि लगभग 10:30 बजे की है। घटना वाले दिन वह एक टेंकर में बैठकर मेहगांव से ग्वालियर जा रहा था, उक्त टेंकर का क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 था। साक्षी आगे कहता है कि उक्त टेंकर को जो चालक चला रहा था, उसका नाम उसे नहीं पता। रोड़ पर चलते हुए उसे झटके महसूस हुये तो उसने चालक से कहा था कि धीरे चलो ये क्या हो रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं गाड़ी भिड़ जाये। साक्षी आगे कहता है कि जब उसे तीसरी बार झटका लगा उस समय धड़ाम की आवाज आई और वह बेहोश हो गया और उसे तीन-चार दिन बाद ग्वालियर में जे.एच.अस्पताल में होश आया था। पुलिस अस्पताल आई थी, लेकिन क्या किया था, उसे नहीं पता। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर श्याम किशोर अ.सा.04 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपी के रूप में राजू उर्फ राजेन्द्र का नाम लिखवाया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने उसके पुलिस कथन प्र.पी.05 में टेंकर द्वारा बुलेरो में टक्कर मारने की बात लिखवाई थी। साक्षी को इस वावत् उसके पुलिस कथन प्र.पी.05 का ए से ए एवं बी से बी भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ऐसा कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि साक्षी श्याम किशोर अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इस तथ्य का उल्लेख है कि दुर्घटनाकारित करने वाले टेंकर

को आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र राठौर, निवासी :- गदाईपुरा ग्वालियर चला रहा था। इस प्रकार इस वावत् आहत श्याम किशोर अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके पुलिस कथन प्र.पी.05 के तथ्यों के मध्य आरोपी के नाम संबंधी ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आहत श्याम किशोर अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि टेंकर 40-45 की रफ्तार से चल रहा था। उल्लेखनीय है कि राजमार्गों पर 40-50 किलोमीटर प्रतिघण्टा की रफ्तार से वाहन चलाना मात्र किसी भी वाहन चालक की उपेक्षा या उतावलेपन को दर्शित नहीं करता है। इस प्रकार आहत/साक्षी श्याम किशोर अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपित दुर्घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले टेंकर चालक के रूप में आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र की पहचान संबंधी या दुर्घटनाकारित करने वाले टेंकर क्रमांक एम.पी. 07/जी/8144 के दुर्घटना के समय उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। इसलिए इस साक्षी के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

11. आहत कौशल अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक 10/12/2013 की रात्रि लगभग साढ़े नौ-दस बजे की भिण्ड-ग्वालियर रोड़ मालनपुर की है। उस दिन वह डम्पर में बैठकर गोहद चौराहा से ग्वालियर जा रहा था। उस डम्पर का मालनपुर में गुड़ से भरी एक लोडिंग मैक्स वाहन से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसे एवं अन्य सवारियों को चोटें आई थी, जिनके नाम उसे याद नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि एक्सीडेंट के पश्चात् वह बेहोश हो गया था और उसे तीन दिन बाद होश आया था। साक्षी का यह भी कहना है कि पुलिस ने घटना के बारे में उससे कभी कोई भी पूछताछ नहीं की। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर कौशल अ.सा.08 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह दिनांक : 10/12/2013 को टेंकर क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 में बैठकर गोहद चौराहा से ग्वालियर जा रहा था। साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसे टेंकर का नम्बर नहीं मालूम। साक्षी आगे कहता है कि घटना के समय वह सो गया था, इसलिए यह नहीं बता सकता कि घटना के समय टेंकर का चालक टेंकर को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था, अथवा नहीं। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने टेंकर चालक से टेंकर धीमे चलाने के लिए कहा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उक्त टेंकर चालक ने टेंकर को उपेक्षापूर्वक, तेजी एवं लापरवाही से चलाकर सामने से आ रही लोडिंग बुलेरो क्रमांक एम.पी.30/जी/660 में टक्कर मार दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि टक्कर लगने से बुलेरो के चालक जनक सिंह एवं टेंकर में बैठे रामकिशन, श्याम किशोर एवं स्वयं उसे चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि घटना पुरानी हो जाने के कारण और घटना के समय सो रहे होने के कारण वह टेंकर चालक को सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता। साक्षी को इस वावत् उसके पुलिस कथन प्र.पी.13 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ऐसा कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण

नहीं बता सकता। इस प्रकार इस वावत् आहत कौशल अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके पुलिस कथन प्र.पी.13 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है। इस प्रकार आहत/साक्षी कौशल अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपित दुर्घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले टेंकर चालक के रूप में आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र की पहचान संबंधी या दुर्घटनाकारित करने वाले टेंकर क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 के दुर्घटना के समय उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। इसलिए इस साक्षी के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

12. अभियोजन साक्षी दिनेश शर्मा अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह टेंकर क्रमांक एम.पी.07/जी./8144 का पंजीकृत स्वामी है। दिनांक : 10/12/2013 को उसके टेंकर को चालक राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र छोटे सिंह निवासी गदाईपुरा ग्वालियर चलाता था। उक्त दिनांक को उसके टेंकर से राजेन्द्र सिंह ने भिण्ड ग्वालियर लोकमार्ग पर बुलेरो से एक्सीडेंट हो गया है, इस बात की सूचना उसे मोबाइल से प्राप्त हुई थी। इस वावत् उसके द्वारा दिया गया प्रमाणीकरण प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में दिनेश शर्मा अ.सा.06 का कहना है कि उसके टेंकर पर चालक राजू एवं हैल्पर रहता है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उक्त हैल्पर कभी-कभी गाड़ी चला लेता है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह दुर्घटनास्थल पर नहीं था और उस समय यदि चालक आरोपी राजू के स्थान पर हैल्पर या कोई अन्य व्यक्ति वाहन चला रहा हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसे दुर्घटना की जानकारी टी.आई.मालनपुर शेर सिंह द्वारा दी गई थी। साक्षी ने स्वतः कहा है कि आरोपी राजू का उस दिन उसके पास फोन आया था, परन्तु उससे उसकी बात नहीं हो पाई थी। साक्षी दिनेश शर्मा अ.सा.06 के उक्त सम्पूर्ण न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की विवेचना से यह प्रकट होता है कि आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू दिनांक : 10/12/2013 को टेंकर क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 पर एक हैल्पर के साथ चालक के रूप में मौजूद था। परन्तु दिनेश अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से कहीं पर भी यह दर्शित नहीं होता है कि आरोपित दुर्घटना के समय आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र ही दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को चला रहा था। साक्षी दिनेश अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह भी दर्शित नहीं होता है कि आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र द्वारा उक्त टेंकर आरोपित दुर्घटना के समय उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाया जा रहा था, क्योंकि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। आहत जनक सिंह अ.सा.01, रामकिशन अ.सा.03, श्याम किशोर अ.सा.04 एवं कौशल अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी ऐसे कोई तथ्य दर्शित नहीं हुये है कि आरोपित घटना में टेंकर क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 के चालक द्वारा उक्त टेंकर को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाया जा रहा था।

13. साक्षी रामकरन अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 13/12/2013 को थाना मालनपुर पर आरक्षक चालक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उसके द्वारा अपराध क्रमांक 267/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं में जब्तशुदा वाहन एम.पी.07/जी/8144 की मैकेनिकल जांच की गई थी, उक्त वाहन चालू हालत में नहीं था। वाहन की दोनों हैडलाईट क्षतिग्रस्त थी, सामने का कांच फूटा हुआ था। चालक कैविन, गेट, बोनट, बम्पर क्षतिग्रस्त थे, बाकी सभी सिस्टम काम कर रहे थे। इस वावत् उसके द्वारा तैयार की गई मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रामकरन अ.सा.05 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की पुष्टि उसके द्वारा दी गई मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र.पी.06 के तथ्यों से भी हो रही है। रामकरन अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत उसके द्वारा जब्तशुदा वाहन की गई मैकेनिकल जांच के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उसके द्वारा मैकेनिकल जांच की जाते समय टैंकर क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 क्षतिग्रस्त अवस्था में था।

14. डॉ.बी.एस.तोमर अ.सा.07 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि वह दिनांक : 11/12/2013 को जे.एच.ग्वालियर में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को रात्रि 12:25 पर उनके द्वारा आहत जनक सिंह राजू राठौर, कौशल शर्मा, रामकिशन एवं श्याम किशोर का चिकित्सीय परीक्षण कर उनके शरीर के विभिन्न स्थानों पर चोटें पाई थी, जो कि कठोर एवं भौथुरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। उक्त चोटें उनके परीक्षण के 06 घण्टे भीतर की थी। इस वावत् उनके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट क्रमशः प्र.पी.08, प्र.पी.09, प्र.पी.10, प्र.पी.11 एवं प्र.पी.12 है, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। डॉ.बी.एस.तोमर अ.सा.07 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी उक्त आहतगण को आई चोटों के स्थान, प्रकृति एवं कारित करने वाली वस्तु के प्रकार के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है, जिसकी सारतः पुष्टि उनके द्वारा दी गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 लगायत प्र.पी.12 के तथ्यों से भी हो रही है।

15. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र ने दिनांक : 10/12/2013 को रात्रि लगभग 10:25 बजे जोगीपुरा के आगे मालनपुर ग्वालियर भिण्ड रोड़ सार्वजनिक स्थान पर, उसके आधिपत्य के वाहन टैंकर क्रमांक एम.पी.07/जी./8144 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी जनक सिंह की लोडिंग बुलेरो क्रमांक एम.पी. 30/जी/0660 में टक्कर मारकर एवं अन्य टैंकर में बैठी सवारिया रामकिशन शर्मा, श्याम बिहारी एवं कौशल शर्मा को टक्कर मारकर उपहति कारित की।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र ने दिनांक : 10/12/2013 को रात्रि लगभग 10:25 बजे जोगीपुरा के आगे मालनपुर ग्वालियर भिण्ड रोड़ सार्वजनिक स्थान पर, उसके आधिपत्य के वाहन टैंकर क्रमांक एम.पी.07/जी./8144 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी जनक सिंह की लोडिंग बुलेरो क्रमांक एम.पी.30/जी/0660 में टक्कर मारकर एवं अन्य टैंकर में बैठी सवारियां रामकिशन शर्मा, श्याम बिहारी एवं कौशल शर्मा को टक्कर मारकर उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 279 एवं 337 "04 काउण्ट" के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र को भा.द.सं. की धारा 279 एवं 337 "04 काउण्ट" के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

19. प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर क्रमांक एम.पी.07/जी/8144 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी दिनेश शर्मा के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दनामा भारमुक्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

09. आरोपी एवं फरियादी रामवीर एवं चरन सिंह के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी रामवीर अ.सा.01 एवं चरन सिंह अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी सुखदेव सिंह ने स्वराज ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.07/ए.ए./6971 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर लालाराम की साईकिल में टक्कर मारकर उनकी मृत्यु कारित की।

11. अभियोजन आरोपी के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ए भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

12. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

13. प्रकरण में जब्त ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.07/ए.ए./6971 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी के पास सुपुर्दगी पर है। अब उक्त ट्रेक्टर बिना किसी बाधा के उसके पंजीकृत स्वामी के पास रहेगा, सुपुर्दगीनामा भारमुक्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद